23/05/19 पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत अपील तथा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पाली के द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश पत्र क्रमांक 3812 दिनांक 22.03.2019 का अवलोकन किया। जिला मजिस्ट्रेट पाली ने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पाली क्षेत्र बिक्रीय अधिकारी को अपीलान्ट गोपालसिंह को पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तो की पालना नहीं करने पर पेट्रोल /डीजल पम्प हेतु जारी अनापति प्रमाण पत्र प्रत्याहरित करने बाबत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

उक्त जारी नोटिस के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत नियम 154 पेट्रोलियम रूल्स 2002 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने पेट्रोलियम रूल्स 2002 के नियम 154 का अवलोकन किया जिसमें यह अंकित किया गया है कि **"An appeal against any order of the District Authority refusing to grant or cancelling a no-objection certificate shall lie to the authority which is immediately superior to the sail District Authority."**

अपीलान्ट की ओर से अपील के संलग्न किया गया अपीलाधीन नोटिस दिनांक 22.03.2019 अधीनस्थ कार्यालय/न्यायालय द्वारा दिया गया अन्तिम निर्णय /आदेश की श्रेणी में नही होकर अन्तरिम कार्यवाही की श्रेणी में आता है। जिस पर यह न्यायालय किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं समझता है। अतः अपीलान्ट की यह अपील दोषपूर्ण **(Defeactive)** होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर